न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 18 / 2016

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1 भूरे खां पुत्र कादर खां जाति शेख मुसलमान .निवासी घाणेराव तहसील देसूरी जिला पाली		1 सुगरो बेवा अब्दुल खां जाति शेख मुसलमान निवासी घाणेराव तहसील देसूरी जिला पाली 2 राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार देसूरी जिलॉं पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :-

1. श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अनुपस्थित।
3. सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से

-: निर्णय :-

दिनांक : 21.8.2018

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 37 / 1990 इकबाल खां बनाम सुगरा वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.09.1990 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बावजूद सम्मन तामील के अनुपस्थित रहे। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विरूद्ध गुणावगुण. पर निर्णय पारित किया जाता है। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इकबाल खां ने रेस्पोडेन्ट सुगरा के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत वाद प्रस्तुत कर ग्राम घाणेराव के नये खसरा नम्बर 2199 रकबा 1.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2322 रकबा 0.9200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2327 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2328 रकबा .2800 हैक्टेयर की भूमि स्वयं के कब्जे काश्त में होना बताते हुए खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा। जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत किया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र पटवारी हल्का के बयानों के आधार पर बिना कोई दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किए जैर अपील निर्णय एवं डिक्री के जरिये इकबाल खां को खातेदारी अधिकार प्रदन किए। जैर अपील वादस्थ भूमि किस रूप में सुगरा को निहित हुई तथा किस प्रकार

अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

इकबाल खां का उक्त भूमि में हक अधिकार बनता था, ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध रूप से मात्र इकबाल खां एवं रेस्पोडेन्ट सुगरा की मिलीभगत से जैर अपील निर्णय पारित किया है। खसरा नम्बर 2199 अपीलाण्ट के कब्जे काश्त में होते हुए भी इकबाल खां को खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त कराते हुए पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के आधार पर गुणावगुण पर विवेचन से पूर्व मियाद के बिन्दु को निर्णित करना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय एवं डिक्री दिनाक 01.09.1990 को पारित की गई है तथा हस्तगत अपील दिनांक 2.02.2016 को दायर हुई है। अब प्रश्न यह उद्भूत होता है कि क्या निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने में हुए असाधारण विलम्ब को कण्डोन किया जाना उचित है अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में जहां तक मियाद का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में विभिन्न प्रकरणों में तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण की परिस्थितियों पर मियाद को अवधारित किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आर0आर0टी0 2004 (2) पेज 698 में प्रतिपादित किया कि "पक्षकारों के अधिकार मेरिट पर निर्णीत करने चाहिये – तकनीकी आधारों पर पक्षकार को न्याय से वंचित नहीं करना चाहिये।" अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात, उभयपक्ष की दलीलों एवं प्रकरण में निहित न्याय के सारभूत प्रश्नों के विनिश्चय हेतु अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। तदनुसार अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 को स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाता है।

प्रकरण के गुणावगुण पर परीक्षण करने पर यह स्थिति प्रकट होती है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इकबाल खां द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया है, उसके संलग्न न तो राजस्व रेकर्ड की प्रतियां प्रस्तुत की तथा न ही ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया, जो वादी द्वारा प्रस्तुत वाद की ताईद करता हो। वादी द्वारा वाद प्रस्तुत करने पर प्रतिवादी द्वारा इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद को माफिक अनुतोष डिक्री कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कब्जे की ताईद में पटवारी हल्का के बयान कलमबद्ध किये जाकर जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित करते हुए इकबाल खां को खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए है। उक्त प्रक्रिया अपने आप में दोषपूर्ण है। जहां वाद के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य ही प्रस्तुत नहीं हो, वहां वादी द्वारा प्रबल मौखिक साक्ष्यों को परीक्षित करवाया जाना आवश्यक होता है। जहां प्रश्न साक्ष्य का है, तो आर0एल0डब्ल्यू0 1990(2) पेज 543 के अनुसार माननीय न्यायाधीश श्री ए.के.माथुर एव श्री बी.आर.आरोड़ा द्वारा डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 1786/1986 शौखन बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में दिनांक 31.07.1990 को पारित निर्णय में प्रतिपादित किया कि "साक्ष्य

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अधिनियम –"साक्ष्य" की परिभाषा–यह दो प्रकार की होता है, मौखिक अथवा दस्तावेजी– जब अधिनियम के अन्तर्गत मौखिक साक्ष्य ग्राह्य है एवं सत्य है, जब यह नही कहा जा सकता है कि दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही होने के कारण मौखिक साक्ष्य रद्द कर दिया जावे–पक्षकारों को आदेश दिया जाता है कि वे उचित साक्ष्य उपयुक्त पीठ के. सम्मुख प्रस्तुत करें" इस निर्णय के पद संख्या ९ में विनिर्दिष्ट किया कि "We have gone throught the order passed by the Board in all the writ petitions and we find that in all the judgments given by the Board they are laboring under the misconception that in absence of documentary evidence, the right of the parties cannot be adjudicated is wholly incorrect premises. The "evidence" has been defined under the Evidence Act 1872 (herein after referred to Act 1872) which reads as under:

"Evidence" "Evidence means and includes:-

(1) all ststements which the Court permits or requires to be made before if by eitnesses, in relation to matters of fact under inquiry; such statements are called oral evidence ;

(2) all documents produced for the inspection of the Court ; such documents are called documentary evidence

That evidence consistent of two kind, namely, oral or the documentary evidence is dealt in Chapter IV of the Act 1872 and the the documentary evidence has been mentioned in Chapter V of the Act 1872. Therefoer, it is wrong to say that the matter cannot be decided on the basis of the oral evidence. It is a different matter that the oral evidence ied by petitioner may not be accepted by the trial court for good reasons, but to say that no documentary evidence has been led, therefore, all the oral evidence is to be rejected and the decree passed by the competent Revenue court is to be set aside, is wholly erroneous. It is matter of common experience that in cases of long possession, it is difficult to get documentary evidence, but if oral evidence is truthful and is admissible under the Act 1872 then it is wrong to say that since documentary evidence has not been produced, therefore, oral evidence is to be rejected. If the Assistant Collector finds that oral evidence is not truthful, or unreliable, then in that case he may not place reliance on such oral evidence and can reject the suit. But if he finds that oral evidence is a truthful, admissible under the law and is reliable, then in that case, it is always open for the trial court to act upon the oral evidence and decree the suit as the case may be, but unfortunetly the learned Board under the misconception that since no documentary evidence has been led, therefore, suit is rejected, has committed an apparent error. We are sorry to say that we do not agree with this approach to the learned Member of the Board of Revenue.At the same time, we regret to say that no documentary evidence has been produced by the State was equally party before the Assistant Collector in suit filed by the petitioner. If there was come documentary evidence available with the State so as to negative the claim of the petitioner, then they could have led the same in evidence in accordance with law, but that has also not been done. Instead of going into this aspect here, we deem it proper that let both the parties may produce proper evidence at the proper forum so that the issue can be debated objectively in the light of the observations made aforesaid.

10. In the result we allow this writ petition and all the writ petitions mentioned in the Appendix and quash the orders of the Board of Revenue and the judgment passed by Assistant Collector and remand this case back to the Assistant Collector so as to permit the petitioner as well as the State

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

to lead the proper evidence i.e. the oral or documentary and let the Assistant Collector may decide the matter afresh in accodance with law. विधि के अनुसार मात्र मौखिक साक्ष्यों के आधार पर वस्तुतः वाद को डिक्री नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि दस्तावेजी साक्ष्यों की अनुपलब्धता सिद्ध नहीं हो जाए। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दस्तावेजों की अनुपलब्धता सिद्ध नहीं हुई तथा प्रतिवादी के इकबालिया जवाब के आधार पर डिक्री पारित की गई है, इस प्रकार से प्रस्तुत वाद दुर्भिसंधि के वाद में शुमार होता है, जिसमें पारित डिक्री विधि विरूद्ध पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 37/1990 इकबाल खां बनाम सुगरा वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.09.1990 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए पक्षकारान् को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर, मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण का परीक्षण कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 21.8.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली